प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में स्वाध्यायी विद्यार्थियों के रूप में पंजीयन कराने वाले विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शिका तैयार करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है।

दृष्टिकोण

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के अनुरूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिये नीति निर्धारण किया जाना है। जिससे कि उन्हे भी NEP- 2020 के अंतर्गत शामिल किया जा सकें।
- स्वाध्यायी विद्यार्थियों के अध्ययन–अध्यापन, आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक कार्य, उपस्थिति एवं अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों की रूपरेखा तैयार किये जाने की आवश्यकता के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में स्वाध्यायी विद्यार्थियों के रूप में पंजीयन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों के निर्माण हेतु निम्नांकित बिंदुवार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है:–

01. स्वाध्यायी विद्यार्थियों की पंजीयन तिथि एवं अवधि का निर्धारण।

स्वाध्यायी विद्यार्थियों का पंजीयन/नामांकन दिनांक 16 अगस्त 2024 से दिनांक 31 अगस्त 2024 तक विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाए। विश्वविद्यालय के द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थी का नामांकन कराया जाना उचित होगा, जिससे कि इन्हे प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीयन की आवश्यकता नही होगी। पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों की संकायवार/विषयवार सूची संबंधित महाविद्यालय को 03 सितम्बर 2024 तक विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

02. पंजीयन की प्रक्रिया एवं शुल्क का निर्धारण।

(i) पंजीयन/नामांकन ऑनलाईन होगा। साफ्टवेयर को संबंधित विश्वविद्यालय तैयार करेंगें।

(ii) साफ्टवेयर इस तरह तैयार हो ताकि पंजीयन के समय–

(a) स्वाध्यायी विद्यार्थी का नामांकन क्रमांक जारी हो जाए।

(b) स्वाध्यायी विद्यार्थी का इच्छित परीक्षा केन्द्र अर्थात महाविद्यालय आबंटित हो जाए। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्रो का निर्धारण विषयवार कर पोर्टल में उपलब्ध कराया जायेगा।, विद्यार्थी जिस विषय में पंजीयन कराना चाहता है। वह उस महाविद्यालय का चयन करेगा।

(iii) स्वाध्यायी विद्यार्थी को ऐसा महाविद्यालय आबंटित किया जाएगा जहां उसके द्वारा चयनित विषय का अध्यापन कार्य पहले से हो रहा हो।

(iv) शुल्क :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थियों की तरह ही स्वाध्यायी विद्यार्थी का नामांकन शुल्क लिया जावेगा।
2. पंजीयन/नामांकन के पश्चात् विद्यार्थी महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में दिनांक 10 सितम्बर 24 तक संपर्क कर अपना पंजीयन सुनिश्चित करेगे तथा महाविद्यालय में सेमेस्टर/सत्र के आधार पर शुल्क जमा करेंगे।
3. उक्तानुसार शुल्क की राशि प्रति सैद्धांन्तिक विषय 50 रूपये तथा प्रति प्रायोगिक विषय 100 रूपये लिया जाना उचित होगा।

4. परीक्षा फार्म के समय स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय को निर्धारित परीक्षा शुल्क का अलग से भुगतान किया जायेगा।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय स्वाध्यायी विद्यार्थियों से जनभागीदारी शुल्क, महाविद्यालय विकास शुल्क की राशि नियमानुसार अलग से ले सकेंगे जिसकी रसीद स्वाध्यायी विद्यार्थी को प्रदान महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

03. सतत आंतरिक मूल्यांकन की अवधि, प्रक्रिया एवं प्राप्तांकों का विश्वविद्यालय को प्रेषण संबंधी नियमावली।

(i) प्रत्येक महाविद्यालय अपने यहां के पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा निम्नांकित तिथियों पर आयाजित करेंगे।

(अ) प्रथम आंतरिक मूल्यांकन– 25 सितम्बर 2024 से 30 सितम्बर 2024

(ब) द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन– 01 नवम्बर 2024 से 10 नवम्बर 2024

(स) असाइनमेंट – 15 नवम्बर से 25 नवम्बर 2024

(ii) आतंरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु, उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था संबंधित महाविद्यालय करेंगे। प्रायोगिक परीक्षा हेतु उत्तरपुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किया जायेंगा। उ.पु. संबंधी रिकार्ड रखने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की रहेगी। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय से मंगाया जा सकता है।

(iii) प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा 20 अंक की होगी तथा असाइनमेंट 10 अंक का होगा। दोनो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्राप्तांक में से जो अधिक होगा वही प्राप्तांक तथा असाइनमेंट के अंक महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार तथा निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाएगा।

(iv) आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों का निर्माण संबंधित महाविद्यालय के संबंधित विषयों के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किया जाएगा।

(v) महाविद्यालय के स्वाध्यायी विद्यार्थियों की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा अनुशासित तरीकों से तथा अकादमिक प्रदत्त गुणवत्ता संगतता के साथ ली जाए।

(vi) आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की उ.पु. का मूल्यांकन संबंधित महाविद्यालय के संबंधित विषयों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा।

(vii) संबंधित महाविद्यालय द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थियों की उ.पु. के प्राप्तांकों को रोल नम्बर अनुसार (Foil /c Foil) बनाकर संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।

04. प्रायोगिक विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन, प्रायोगिक अवधि एवं आंतरिक मूल्यांकन का निर्धारण।

(i) प्रायोगिक विषयों के स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु सेमेस्टर परीक्षा के 45 दिवस पूर्व प्रायोगिक कक्षाएं/लेब वर्क का संचालन अनिवार्य रूप से किया जाए एवं पाठ्यक्रम के आधार पर प्रायोगिक कार्य पूर्ण कराया जाये।

(ii) प्रत्येक स्वाध्यायी विद्यार्थी को 30 घन्टे की प्रायोगिक कक्षा/लेब वर्क का मिलना चाहिये जो एक क्रेडिट के बराबर होगा। (ज्ञातव्य हो कि प्रायोगिक विषय में 3 क्रेडिट Theory एवं 1 क्रेडिट Practical है)

(iii) प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्ववत् विश्वविद्यालय के समय सारणी अनुसार ली जायेगी तथा प्राप्तांकों को संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा। इस हेतु विश्वविद्यालय अगल से निर्देश जारी करेगे।

05. GE, VAC, SEC चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

(i) दिनांक 10 सितम्बर 2024 से 12 सितम्बर 2024 तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों से चर्चा करके GE/VAC/SEC उनकी इच्छानुसार एवं महाविद्यालय की उपलब्धतानुसार आबंटित कर दिया जाएगा।

(ii) इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केन्द्र अपने वेबसाईट/नोटिस बोर्ड/अन्य के माध्यम से GE/VAC/SEC की सूची उपलब्ध करायेंगे।

(iii) आबंटित GE/VAC/SEC की सूची महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को 16 सितम्बर 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।

06. अंत सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन तिथि का निर्धारण।

(i) परीक्षा आवेदन की तिथि एवं शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, तथा परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया एवं अन्य प्रक्रिया का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जायेगा।

(ii) परीक्षा आवेदन हेतु स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

07. आंतरिक मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण।

आंतरिक मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर एवं असाइनमेंट के लिये 5 रूपये प्रति पेपर अर्थात् प्रत्येक विद्यार्थी पर कुल 15 रू का मानदेय प्रदान किया जाना होगा। प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु मानदेय पूर्ववत् विश्वविद्यालय के नियमानुसार रहेगा।

08. स्वाध्यायी विद्यार्थियों से संबंधित अतिरिक्त कार्य के लिए स्टाफ की आवश्यकता का निर्धारण।

(i) स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पंजीयन से लेकर परीक्षा तक के अधिकतर कार्य नियमित विद्यार्थियों के साथ ही किये जाने है तथा बहुत से कार्य विश्वविद्यालय द्वारा ही पूर्ण किये जाने है, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता महाविद्यालय में नियुक्त अतिथि व्याख्याता को अतिरिक्त कार्य देकर पूर्ण कराया जा सकता है। इस हेतु शासन द्वारा अतिथि व्याख्याता के लिये जारी नियमावली अनुसार उन्हे अतिरिक्त भुगतान किया जा सकता है।

(ii) संबंधित महाविद्यालय में स्वाध्यायी विद्यार्थियों से संबंधित एक प्रकोष्ठ की गठन किया जाये, जिससे एक प्रभारी प्राध्यापक एवं आवश्यकतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी नियुक्त किये जाए। इनका मानदेय जनभागीदारी मद/स्वाध्यायी विद्यार्थियों से प्राप्त राशि मे से प्रदान किया जाये।

स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्रकोष्ठ का प्रस्तावित मानदेय (मानदेय प्रतिमाह)

क्र	छात्र संख्या	प्रभारी प्राध्यापको की संख्या	प्रभारी प्राध्यापको का मानदेय	सहायक कर्मचारियों की संख्या	सहायक कर्मचारियों का मानदेय
1	500 तक	01	1000	01	500
2	500 से 2000 तक	01	1500	02	500 (प्रति व्यक्ति)
3	2000 से 5000 तक	01	2000	04	500 (प्रति व्यक्ति)
4	5000 से अधिक	02	2000 (प्रति व्यक्ति)	05	500 (प्रति व्यक्ति)

09. आवश्यकता अनुरूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों से संबंधित अन्य नियम/निर्देश।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन क्रेडिट फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित अतिरिक्त सुझाव प्रस्तुत है।

(i) संबंधित महाविद्यालय अपने यहां पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय के नियमित शैक्षणिक कार्य के पश्चात् अतिरिक्त बचे समय या अवकाश दिवस में भौतिक/ऑनलाइन रूप से कक्षाएं आयोजित करे।

(ii) संबंधित महाविद्यालयों में आयोजित होने वाली कक्षाओं का संचालन संभवतः ब्लेंडेड मोंड में करे ताकि स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। ऐसी कक्षाओं की रिकार्डिंग करके यूट्यूब में भी डाला जा सकता है।

(iii) महाविद्यालय के वेबसाईट में/यूटयूब चैनल में शिक्षकों के द्वारा तैयार किय गये विडियों लेक्चर भी उपलब्ध कराये जाए जिसका लाभ सभी विद्यार्थियों को विशेष रूप से स्वाध्यायी विद्यार्थियों को मिल सके।

(iv) अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से अवकाश दिवसों में निरंतर कक्षाये आयोजित की जाये। इसकी समय सारणी महाविद्यालय द्वारा सत्र के प्रारंभ मे जारी कर दी जाये।

(v) महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगें की स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम भौतिक/ऑनलाइन/ब्लेंडेड/अन्य माध्यम से पूर्ण कराई जाये।

(vi) स्वाध्यायी छात्र द्वारा सत्र के मध्य महाविद्यालय/केन्द्र को परिवर्तित करने का विकल्प नही रहेगा।

(vii) GE/VAC/SEC महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों को वही चयन करना होगा।